

सूची

क.सं.	मद	पृष्ठ सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही ।	2
2.	वर्तमान एजेण्डा ।	3
3.	परिचय एवं उद्देश्य	4-5
3.	प्रेम समूह के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त सुझाव ।	6-13
4.	आय एवं माल लदान का संक्षिप्त विवरण ।	14-15
5.	पिछलें प्रेम बैठक (24.03.2017) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी ।	16-36

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.30	11.32
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय सम्बोधन।	महाप्रबंधक	11.32	11.37
3.	पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.37	11.42
4.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :-			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.42	12.02
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	ईसीआरपीएफए	अध्यक्ष	12.02	12.12
		महासचिव		
	एससी एसटी एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.12	12.22
		जोनल सचिव		
	ओ0बी0सी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.22	12.32
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	12.32	12.42
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.42	12.52
		महासचिव		
5.	वर्तमान एजेण्डा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	12.52	13.18
6.	वर्तमान एजेण्डा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष के अनुमति से	13.18	13.28
7.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.28	13.30

चर्चा का विषय

- 1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख-रखाव एवं अन्य सुविधायें ।
- 2.पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं ।

INTRODUCTION

- P R E M (Participation of Railway Employee in Management)
- It was setup in the ministry of Railway in the year 1972 and the Zonal Railways in 1977.
- On Indian Railways it is working on three-tier basis.
 1. The Railway Board Level (Corporate Enterprise Group of Labour of Management)
 2. The Zonal Railway Level
 3. The Divisional Railway Level

RAILWAY BOARD LEVEL

- Chairman - Chairman Railway Board
- Convenor - Secretary Railway Board
- Administrative side-Members Railway Board, Advisers & ED's,
- Staff side - Four representatives of NFIR & AIRF each.
- Four representatives of federation of Railway officers.
- Four representatives of federation of promotee officers association.

ZONAL LEVEL

- Chairman - GM
- Secretary - Dy. GM (G)
- Administrative side - AGM & All PHODs
- Staff side - Four representatives of ECRKU
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.
- Two representatives of SC&ST Association.
- Two representatives of OBC Association.
- Two representatives of RPF Association

DIVISIONAL LEVEL

- Chairman - DRM
- Secretary - Sr. DPO/ DPO
- Administrative side - ADRM & Branch Executives
- Staff side - Four representatives of ECRKU.
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.

PREM Meeting held at Zonal Level-2016

- Meeting : once in three months :
- 1st Meeting : 29 April 2016
- 2nd Meeting : 02 September 2016
- 3rd Meeting : 15 December 2016

PREM Meeting held at Zonal Level-2017

- 1st Meeting : 24 March 2017
- 2nd Meeting : 24 August 2017

OBJECTIVES

- To have better and systematic participation of labour in management with the main objective of improving the efficiency viability of Railway organisation and building the image of Railways as a service organisation
- To proved free flow of exchange of ideas on the running and shaping of Railway organisation
- Appraise the investment programme particularly in regard to housing and welfare activities.
- **Note:** Staff matters could not be discussed unless linked with the overall productivity of the organisation.

Workers Participation in Management


- Whitely Committee in UK during 1917 has recommended that workers should be given opportunity to participate in the discussion for -
- Promoting productivity for the general benefit of the organisation, employee and community.
- Giving employees a better understanding of their role in the organisation in the process of production.
- Satisfying the workers urge of self expression, to achieve industrial peace, better relationship and cooperation.
- In Railways, workers participation is in practice for a long time by associating the representatives of trade unions in different areas like:
- Staff benefit fund committee
- Quarters committee
- Housing committee
- Running room advisory committee
- Canteen management committee
- Hospital visiting committee
- Labour advisory committee
- Executive committees of Railway Institute and clubs
- Workshop productivity councils etc.
- In addition in the area of workers participation in management, corporate enterprise groups of management and labour have been formed at Railway Board, Zonal Railway and Divisions, which is now being called as Participation of Railway Employees in management(PREM)

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

1.0	एजेंडा—(1) रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख-रखाव एवं अन्य सुविधायें।	प्रेम ग्रुप/ विभागाध्यक्ष
1.1	<p>1. रनिंग रूम में रनिंग कर्मचारियों के लिए भोजन बनाने की पूर्व की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी व्यवस्था से रनिंग कर्मचारी संतुष्ट नहीं है और रनिंग कर्मचारियों को समय पर भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में ईसीआरकेयू ने दिनांक 15.12.16 को आयोजित मुख्य परिचालन प्रबंधक के साथ हुई बैठक में इस मांग को मद सं0 01 के रूप में रखा जाए।</p> <p>2. भोजन बनाने वाले कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए।</p> <p>3. रनिंग रूम में रूम की व्यवस्था अलग-अलग होनी चाहिए, जिससे चालक एवं सह-चालक एक साथ रह सके।</p> <p>4. चालक एवं सह-चालक को रनिंग रूम में अपने-अपने रूम में जाने के पश्चात् उनके समक्ष चादर बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए।</p> <p>5. सभी रनिंग रूम को वातानुकूलित करने की व्यवस्था हो।</p> <p>6. क्रु-प्वाइंट से रनिंग रूम की दूरी कम से कम होनी चाहिए, तथा रनिंग रूम जाने के लिए पाथ वे की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि रनिंग रूम जाने के लिए लाइन एवं गाड़ी को पार करके जाना पड़ता है।</p> <p>7. रनिंग रूम कमिटी का निरीक्षण रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही साथ जाड़े के लिए गीजर तथा गर्मी में शुद्ध ठंडे पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।</p> <p>रेस्ट रूम</p> <p>1. सभी रेस्ट रूम में आवश्यकता अनुसार बेड का अभाव है, इसे जांच कर बेड की संख्या बढ़नी चाहिए तथा पेय-जल शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। रेस्ट रूम में ऐसा देखा जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में कूलर एवं पंखा उपलब्ध नहीं है, जिसे लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार रेस्ट रूम में भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।</p>	महासचिव ईसीआरकेयू
1.2	<p>रनिंग रूम के सुविधाओं में सुधार हुआ है पिछले पांच वर्षों की तुलना में आज की स्थिति सम्मानजनक है परंतु संतोष जनक नहीं है जबकि समय समय पर रनिंग रूम इंसपेक्शन एवं रेस्ट रूम इंसपेक्शन होते रहते हैं।</p> <p>रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया है कि रनिंग रूम में ए.सी. व्यवस्था हो परंतु ए.सी. तो दूर की बात है, बहुत से रनिंग रूम में कूलर शोभा की वस्तु बना हुआ है, ज्यादातर रनिंग रूम में शुद्ध ठंडे पेय जल की व्यवस्था नहीं है।</p> <p>1. रक्सौल के रनिंग रूम में एक रूम में 04 बेड है, क्रू को घंटों इंतजार करना पड़ता है तब कहीं जगह मिल पाता है। शौचालय एवं स्नानघर की स्थिति ठीक नहीं है।</p> <p>2. बक्सर में प्लेटफॉर्म सं0 02 एवं 03 के बीच में रनिंग रूम है ट्रेन के शोर से क्रू को आराम नहीं मिल पाता है। रूम का आभाव है जिसके कारण एक रूम में 06 बेड लगा है जिसके कारण क्रू को कॉल किया जाता है तो दूसरा क्रू डिस्टर्ब होता है।</p> <p>3. मुगलसराय रनिंग रूम की व्यवस्था भी ठीक नहीं है 04-04 बेड एक रूम में लगा है।</p> <p>4. झांझा के रनिंग रूम का किचेन छोटा है जिसमें घरेलू चुल्हा दो मुंहवाला है जिसके कारण क्रू को समय पर भोजन नहीं मिल पाता है।</p> <p>5. राजगीर के रनिंग रूम की स्थिति ठीक नहीं है, बरसात में छत से पानी रिसता है जिससे क्रू डिस्टर्ब रहता है।</p> <p>6. बरौनी में टीटीई के लिए रेस्ट रूम नया बनाया गया है परन्तु रेस्ट रूम की सुविधा</p>	महासचिव ओबीसी.ए.शो.

	<p>उपलब्ध नहीं है। आउटसोर्सिंग से व्यवस्था कराई जाये, पुराना रेस्ट रूम दो लाईन के बीच में है जो खतरनाक है एवं दयनीय स्थिति में है।</p> <p>7. मानसी रनिंग रूम में कूलर की व्यवस्था नहीं है। गर्मी के मौसम में रनिंग रूम/रेस्ट रूम के आस-पास का माहौल तुलनात्मक रूप से ठंडा रहें, इसके लिये रनिंग रूम के परिसर में वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा खाली जगहों पर किया जाये, रनिंग रूम परिसर का तापमान इससे कम होगा। क्रू बुकिंग प्वाइंट, बरौनी में रेस्ट रूम है ही नहीं न्यूनतम सुविधा से युक्त शौचालय एवं पेयजल उपलब्ध कराया जाये।</p>	
1.3	<p>रनिंग रूम को पूर्ण रूपेण वातानुकूलित होना चाहिए। एक कमरा में एक या दो स्टाफ के लिए ही व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनके आराम में खलल न पड़े। बेड रोल की सफाई उच्च स्तर की होनी चाहिए। आर पी एफ बैरक को भी रनिंग रूम की तरह सुविधा संपन्न होना चाहिए। बहुत से बैरक पुराने और जर्जर अवस्था में हैं जैसे लखीसराय, बख्तियारपुर, झांझा जो बल सदस्यों के रहने योग्य भी नहीं है। उन बैरक का नया भवन होना चाहिए। बहुत से पोस्ट पर कुक नहीं है जिससे बल सदस्यों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।</p>	कार्यकारी महासचिव ईसीआरपीएफ
1.4	<p>रनिंग रूम/रेस्ट रूम का रख-रखाव दो तरीके से किया जा रहा है। स्वयं रेलवे द्वारा-अपने कर्मचारियों की सहायता से इसका रख-रखाव किया जाता है। बाहरी स्रोत- रनिंग रूम/रेस्ट रूम का रख-रखाव बाहरी स्रोत से भी किया जा रहा है। अन्य सुविधाएं- रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सभी रनिंग रूम/रेस्ट रूम में वर्ग-श्रेणी के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं।</p>	मुपरिप्र
1.5	<p>1. रसोई एवं पैंट्री को प्रत्येक छः महीने पर रंगाई-पुताई करना एवं रसोई में व्यक्तिगत सुरुची पूर्ण भोजन पकाने की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में आधुनिक सामान जैसे कि डिश वाशर, माइक्रोवेव ओवन, इत्यादि का उपयोग हो। रसोई घर के कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा नियमित रूप से हो।</p> <p>2. रनिंग रूम में नियमित अवधि पर पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहिए।</p> <p>3. सभी बेड के लिए अलग-अलग रीडिंग लाइट होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति के पढ़ने पर दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब न हों।</p> <p>4. एक उचित क्षेत्रफल का बिना किसी फर्नीचर के हॉल होना चाहिए जिसमें योग, ध्यान किया जा सके और उसमें डीटीएच के साथ टेलीविजन, हिंदी अंग्रेजी में अखबार, पत्रिका आदि उपलब्ध होने चाहिए।</p> <p>5. रनिंग रूम में बाहर निकलने वाले गेट के समीप आदमकद का दर्पण होना चाहिए जिसमें पूरा बिंब दिखाई पड़ सके तथा जूता पॉलीश करनेवाला मशीन (विद्युतचलित) लगा होना चाहिए।</p>	प्रमुइं
1.6	<p>1. प्रत्येक कमरे में खिड़की के पास डेजर्ट कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए।</p> <p>2. खान-पान एवं साफ - सफाई की व्यवस्था को आउट सोर्स करना उचित है तथा संबंधित एजेंसी के कार्य का उचित निगरानी हो ताकि रनिंग कर्मचारियों द्वारा शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायत का यथाशीघ्र निवारण हो सके।</p> <p>3. खान-पान में लगे कर्मचारी (रसोईया एवं बैरा) आदि यूनिफार्म में रहें एवं साफ - सुथरा रहें इसके लिए दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना</p>	मुसंधि

	<p>चाहिए।</p> <p>4.शाकाहारी एवं मांसाहारी के लिए अलग-अलग रसोईघर होना चाहिए।</p>	
1.7	<p>रनिंग रूम/रेस्ट के रख-रखाव एवं अन्य सुविधाएँ : वाणिज्य सर्कुलर सं. 71/3013 पत्रांक 2010/टीजी-ट/10/03, दिनांक 14.11.2013 के अनुसार मूल रूप से इस कार्य का कार्यान्वयन इंजीनियरिंग और विद्युत विभाग द्वारा किया जाना है। इस संबंध में मंडलों के वाणिज्य विभाग द्वारा इंजीनियरिंग विभाग को पत्र दिया जाता रहा है, जैसाकि वाणिज्य सर्कुलर 71/2013 में स्पष्ट निर्दिष्ट है कि प्लान हेड (शीर्ष)-64 में निर्माण संबंधी कार्य संपन्न कराएं।</p> <p>पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों पर टीटीई विश्राम गृह की स्थिति निम्नवत है :</p> <p>पटना जं० में टीटीई विश्राम गृह का निर्माण हो चुका है। फर्नीचर संबंधित संचिका प्रक्रियाधीन है जो अतिशीघ्र खरीदकर टीटीई रेस्ट रूम को चालू कर दिया जाएगा। झांझा रेस्ट रूम के चादर, लिनेन इत्यादि के साफ-सफाई हेतु दिनांक 22.04.2017 से 18.08.2017 तक कोटेशन बेसिस पर कार्य दिया गया है।</p> <p>सोनपुर मंडल के बरौनी स्टेशन पर 70 बेड का टीटीई रनिंग रूम हेतु कार्य स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2014-15 में आईआरपीएसएम के माध्यम से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 70 बेड का टीटीई रनिंग रूम का प्रावधान हेतु प्रस्तावित किया जा चुका है। उसकी स्वीकृति होने पर परिपत्र सं. 71/2013 के निर्देशानुसार सभी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।</p> <p>समस्तीपुर - टीटीई रेस्ट रूम निर्माण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान वाणिज्य सर्कुलर सं. 71/2013 के अनुरूप प्लान हेड 64 के तहत करने हेतु निधि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रस्तावित किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति की समीक्षा की जा रही है एवं कार्य योजना का प्राक्कलन इत्यादि तैयार किया जा रहा है, ताकि कार्य का अनुमानित लागत कार्य प्रस्तावित से पहले तैयार किया जा सके।</p> <p>धनबाद स्टेशन पर स्थित टीटीई विश्राम गृह में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।</p> <p>सिंगरौली में नये टीटीई रेस्ट रूम का कार्य (प्लान हेड - 64) में स्वीकृत है। गोमो एवं बरकाकाना में अगले वित्तीय वर्ष में कार्य स्वीकृत कराया जाएगा।</p> <p>मुगलसराय - मंडल द्वारा इस संबंध में इंजीनियरिंग एवं विद्युत विभागों को आवश्यक कार्यवाई हेतु अनुरोध किया गया है। मुगलसराय में रूम नं. 17 पुराना गार्ड रेस्ट रूम में टीटीई रेस्ट रूम को शिफ्ट किया गया है एवं देख-रेख हेतु एक सुपरवाईजर की पोस्टिंग किया गया है।</p>	मुवाप्र
1.8	<p>रनिंग रूमों का कार्य/रखरखाव बाहरी श्रोत (आउट सोर्स) द्वारा कराया जा रहा है।</p> <p>रनिंग कर्मचारियों को रनिंग रूम में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए रनिंग रूम में शू साईनिंग मशीन, वाशिंग मशीन, लेग मसाजर, वाटर कूलर डेजर्ट कूलर, वाटर फिल्टर (आर.ओ), फ्रिज, स्टडी/मनोरंजन कक्ष, योग कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा गार्डन में सुधार किया जा रहा है। किउल एवं राजगीर के रनिंग रूम में कमरे एवं बेड के विस्तार का प्रस्ताव 2017-18 में रखा गया है। कहीं-कहीं रनिंग रूम में कवर्ड शेड के साथ मोटर साइकिल</p>	मुयाई

	एवं साईकिल स्टैंड बनाया गया है।	
2.0	एजेंडा-(2) पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।	
2.1	1. डिब्बों एवं स्टेशनों को स्वच्छ रखने के लिए अनाधिकृत वेंडरों एवं अनाधिकृत व्यक्तियों से पूर्णतः कब्जे से हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ रेल विभाग को अपने स्टेट ऑफिसर को सक्रिय करने की जरूरत है। 2. गंदगी करने वालों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही होनी चाहिए तथा पान-गुटखा कार्यालयों में जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगनी चाहिए।	महासचिव ईसीआरकेयू
2.2	1. प्लेटफॉर्म पर शौचालय एवं मूत्रालय का समुचित व्यवस्था हो उदाहरण के लिये बरौनी में प्लेटफॉर्म संख्या 04-05 दोनों ओर (पूर्व एवं पश्चिम) शौचालय एवं मूत्रालय है परन्तु उपयोगकर्ता से 05 रु0 एवं 10 रु0 चार्ज किया जाता है, जिसके कारण लोग वहाँ जाने से परहेज करते और स्टेशन परिसर को गंदा करते हैं। 2. ट्रेन के कोच में (महत्वपूर्ण ट्रेन में) एक सफाई कर्मचारी डस्टबीन के साथ चले इससे कोच में गंदगी नहीं रहेगी। 3. कुछ ट्रेनों में बायो-टॉयलेट की व्यवस्था है परन्तु यात्री उसी में गंदगी डालता है जिसके कारण बायो-टॉयलेट काम नहीं करता है एवं पूरे कोच में बदबू फैल जाती है। इसके लिये लगातार जागरूकता अभियान प्लेटफॉर्म पर चलाने की आवश्यकता है। 4. रेलवे कॉलोनी की सफाई नहीं हो पा रही है। कहीं-कहीं कॉलोनी में मल नाली में खुला तैरता हुआ दिखता है, कॉलोनी के सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।	महासचिव ओबीसी.एशो.
2.3	रेल कॉलोनिआँ और आर पी एफ बैरक को भी स्वच्छ रखने हेतु आउट सोर्शिंग से सफाई कर्मी की तैनाती होनी चाहिए। आर पी एफ के पोस्ट प्रभारी या चौकी प्रभारी को भी एक निश्चित रकम प्रतिमाह मिलनी चाहिए ताकि ऑफिस व बैरक की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके।	कार्यकारी महासचिव ईसीआरपीएफ
2.4	1. स्टेशनों पर साफ-सफाई के बेहतर इंतजाम- इसके अंतर्गत स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार चिकित्सा, वाणिज्य एवं परिचालन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। छोटे स्टेशनों पर सफाई की जिम्मेदारी परिचालन विभाग की है। परिचालन विभाग बेहतर सफाई हेतु स्टेशन मास्टर को इम्प्रेस्ट मनी दिया गया है। कहीं-कहीं डिवीजन के द्वारा ही अनुबंध दिया गया है जिसका पर्यवेक्षण स्टेशन मास्टर को दिया गया है जिससे सफाई में बहुत सुधार हुआ है। इसे और बेहतर करने हेतु स्टेशनों का प्रतियोगिता किया गया है जिसके अंतर्गत स्टेशनों का मार्किंग किया गया है। यह मार्किंग किन्हीं अन्य एजेंसी के द्वारा किया गया है। इससे जो उच्च मापदंड स्थापित किया गया है वह इसे बनाये रखने हेतु एवं जो निम्न या निकृष्ट है वह आगे बढ़ने हेतु प्रयास करेंगे। इससे बेहतर परिणाम आयेगा। 2. कूड़े का निष्पादन - बड़े स्टेशनों पर काफी अधिक मात्रा में कूड़ा जमा होता है इसका सही निष्पादन की सुविधा नहीं होने के कारण काफी कठिनाई होती है। इसके लिए कई कंपनियां कूड़ा खरीदने को तैयार हैं। हम उन्हें यह अवसर देकर कूड़ा के जमाव को कम कर सकते हैं। पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में एक गाड़ी द्वारा कूड़ा लेकर अन्यत्र भेजा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व मध्य रेलवे में भी होनी चाहिए।	मुपरिप्र

	<p>3. अवैध वेडरों पर लगाम— अवैध वेडर गाड़ी के साथ—साथ स्टेशनों पर गंदगी फैलाने के महत्वपूर्ण कारक है । इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होने के कारण ये कहीं भी दुकान लगा देते हैं और आस—पास गंदगी फैलाते हैं । इन पर लगाम लगाने से स्टेशनों पर स्वच्छता लायी जा सकती है ।</p> <p>4. रेल की सवारी करने वालों में जागरूकता लाना— रेलवे लाख प्रयास कर ले जब तक इसके उपयोगकर्ता जागरूक एवं सजग नहीं होंगे तब तक हमारी सभी कोशिशें बेकार हैं । इसके लिए रेल परिसर में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लगातार सफाई के बारे में अनाउंसमेंट होना चाहिए । जगह—जगह पम्पलेट द्वारा भी जागरूकता लायी जा सकती है । साथ ही साथ स्टेशन पर सफाई रखने वाले आम लोगों को भी प्रोत्साहित कर इसमें जन—भागीदारी बनाया जाए ।</p>	
<p>2.5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्लेटफार्म पर डस्टबिन का लोकेशन ऐसा हो जहा पैसेंजर उसे देख सकें । डस्टबिन को हमेशा लोहे के चैन से दीवार में अथवा कॉलम में बांधने की व्यवस्था हो । 2. फूट ट्रॉली, फूड ट्रॉली तथा टी—ट्रॉली अपने साथ—साथ एक डस्टबिन (चलंत) भी रखें ताकि पैसेंजर उपभोग के बाद अनुपयोगी सामान उसमें फेंक दें । 3. PAS (Public Address System) द्वारा समय—समय पर पैसेंजर को अपील करते रहे कि सफाई में सहयोग दें तथा कचरा को कचरा पात्र में ही डालें । 4. प्लेटफार्म व स्टेशन एरिया में गुटखा, पान मसाला इत्यादि को बेचना एवं रेलवे परिसर में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जाय । 5. जहां भी टैप हो वहां से जल निकासी की उचित व्यवस्था हो । 6. सफाई एजेन्सी को पुरे स्टेशन यार्ड की सफाई की जिम्मेवारी होनी चाहिए ताकि सफाई कर्मचारी प्लेटफार्म सरफेस साफ करके गंदगी को ट्रैक पर नहीं गिरायें । 7. सर्कुलेटिंग एरिया में कोई भी अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए । 8. अनाधिकृत व्यक्तियों और वेडरो के प्रवेश पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाया जाय । 9. कोच में पानी भरने की व्यवस्था को केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाये ताकि जिससे पानी की सप्लाई को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके और पानी की बर्बादी को भी रोका जा सके । 	<p>प्रमुई</p>
<p>2.6</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. कचरा निस्तारण हेतु योजनाबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए । 2. प्लेटफार्म पर डस्टबिन की संख्या बढ़ायी जाए एवं इसके लिए जगह—जगह पर समुचित निर्देश के लिए पोस्टर लगाना चाहिए एवं इसके लिए यात्रियों को जागरूक करने हेतु समय—समय पर उद्घोषणा कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 3. स्टेशन पर सफाई के लिए प्रतिनियुक्त किए गए ठेकेदार के कर्मचारी के कार्य—कलाप की उचित निगरानी होनी चाहिए । 4. इस संबंध में पोस्टर एवं उद्घोषणा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के उपर दंड की व्यवस्था की जानकारी दी जानी चाहिए । 	<p>मुसंधि</p>

<p>2.7</p>	<p>पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को बेहतर कैसे कर सकते हैं वाणिज्य विभाग की टिप्पणी निम्नवत है –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.स्वच्छता के प्रति जागरूकता से संबंधित पोस्टर/बैनर स्लोगन आदि का स्टेशनों पर प्रदर्शन और उद्घोषणा द्वारा प्रचारित किया जाना। 2.स्टेशन परिसर और ट्रेनों में स्वच्छता तथा बेडरोल की सफाई से संबंधित शिकायतों की मॉनिटरिंग। 3.अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से स्टेशनों और ट्रेनों का निरीक्षण। 4.अन्य स्टेशनों को भी स्वच्छता के लिए आउटसोर्सिंग प्रणाली में शामिल किया जाना औरउनकी मॉनिटरिंग करना। 5.एस.आई.जी. की त्रिस्तरीय निरीक्षण में स्टेशन स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा मंडल स्तर पर जेएजी/ब्रांच अधिकारी द्वारा और मुख्यालय स्तर पर एसएजी अधिकारियों द्वारा कराया जाना। 6.रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने और अशोभनीय हरकत करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना। 7.स्टेशन के फर्श को साफ करने के लिए उपयुक्त मेकेनाइज्ड (यंत्रिकृत) उपकरणों की मदद लिया जाना। 8.कुछ नए प्रयोग यथा पटना जं० पर सीसीटीवी द्वारा स्वच्छता की मॉनिटरिंग किया जाना। अन्य बड़े स्टेशनों पर भी इस व्यवस्था को क्रमवार ढंग से लागू करने की योजना। 9.स्टेशनों पर अधिक संख्या में डस्ट-बीन की व्यवस्था किया जाना। 10.प्रारंभिक रख-रखाव के दौरान सभी प्रारंभिक-स्वामित्व वाली ट्रेनों में मेकेनाइज्ड कोच क्लीनिंग की व्यवस्था। 11.सभी प्रमुख मेल/एक्स. ट्रेनों में स्वच्छता और साफ-सफाई को सुनिश्चित करने हेतु 'ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस' की व्यवस्था किया जाना। ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस दानापुर मंडल के RNCC Depot में ट्रेन नं० 12309/10, 13201/02, 13237/38-39/40, 12355/56, 12395/96, 12393/94, 12023/24, 12065/66,13281/82, 22353/54 एवं 22355/56 दानापुर डिपो में 13255/56, 23251/52, 13245/46-47/48 एवं 13287/88 राजगीर डिपो में 12391/92 धनबाद मंडल के धनबाद डिपो में 13351/52 एवं 13307/08 मुगलसराय मंडल के गया डिपो में 12397/98 सोनपुर मंडल के बरौनी डिपो में 12553/54, 12521/22, 15203/04, एवं 15231/32 समस्तीपुर मंडल के रक्सौल डिपो में 15273/74, सहरसा डिपो में 15279/80 जयनगर डिपो में 12569/70 प्रावधान किया गया है। <p>'क्लीन ट्रेन स्टेशन' स्कीम मुगलसराय और बरौनी स्टेशनों पर लागू किया गया है। इस स्कीम के तहत गजरने वाली ट्रेनों में उनके निर्धारित ठहराव के दौरान सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</p> <p>रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप पूर्व मध्य रेल में आने वाली सभी ट्रेनों में पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल का प्रावधान किया जाना।</p>	<p>मुवाप्र</p>
<p>2.8</p>	<p>पूर्व मध्य रेल में बेहतर स्वच्छता हेतु प्रथम प्लास्टिक बोतलों का उपयोग सभी कार्यालय सभाओं, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं में बंद करने की अनुशंसा की गई है तथा प्लास्टिक बोतलें, जो कि यात्रियों द्वारा सफर में ट्रेनों, रेल-पटरियों एवं रेलवे स्टेशनों पर फेंका जाता है, उसके रिसाइक्लिंग का</p>	<p>मुयाई</p>

	<p>प्रस्ताव है। इसके लिए निर्माताओं से बात भी की गई है और कई निर्माता इन प्लास्टिक बोतलों को खरीदकर रिसाइक्लिंग करने की इच्छा भी जताई है। इससे स्वच्छता में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण को भी लाभ होगा तथा इसमें रेलवे की तरफ से कोई व्यय नहीं होगा।</p> <p>इस कडी का अगला कदम है – व्यर्थ कागजों का निष्पादन। इसके अंतर्गत हर कार्यालय में कतरनी मशीन (Shredder) का प्रस्ताव है। हर कार्यालय/विभाग में प्रतिदिन अपना अनुपयोगी कागज कतरनी मशीन (Shredder) में निष्पादित करेगा। सप्ताह/माह उपरांत जब उपयुक्त मात्रा जमा हो जाएगी तब संबंधित रिसाइक्लर, जो कि पहले से निर्धारित हो, बुलाया जाएगा। संयुक्त मापन करके उक्त रद्दी को टिशू पेपर बनाने हेतु इस्तेमाल किया जाएगा एवं इससे रेलवे को लाभ भी होगा।</p>	
<p>2.9</p>	<p>1.स्टेशन परिसर में स्वच्छता के लिए दुकानों एवं स्टॉलों को परिसर से दूर बनाना चाहिए, या उनके पास उनके द्वारा निकले हुए कचड़ा अथवा अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित करने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए।</p> <p>2.स्टेशन पर प्रतीक्षालय को बड़ा बनाना चाहिए, जिससे उसमें अधिक से अधिक यात्री बैठ सके तथा यत्र – तत्र घूमकर स्टेशन परिसर को गंदा न करे।</p> <p>3.जहां संभव हो वहां पर कचरा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए।</p> <p>4.नियमित प्लेटफॉर्म की सफाई होनी चाहिए एवं समय – समय पर ब्लीचींग पावडर का छिडकाव किया जाना चाहिए।</p> <p>5.समय – समय पर स्टेशन परिसर में बने शौचालयों एवं कमरों की सफाई होनी चाहिए, जिससे गंदगी न फैले।</p> <p>6.स्टेशन एवं कॉलोनियों की गंदे जल निकासी के लिए चौड़ी नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा इनकी समय – समय पर सफाई होनी चाहिए।</p> <p>7.कॉलोनियों के आस – पास कूड़ेदानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा समय – समय पर इसकी सफाई होनी चाहिए।</p> <p>8.रेल परिसर को स्वच्छ रखने के लिए नियमित निम्न सामग्री की उपलब्धता अनिवार्य है।</p> <p>(क.) Cleaning Agent (ख.) Mosquito repellent (ग.) Air Freshner/De - odorant</p> <p>9.सफाई कर्मचारियों को वर्दी, टोपी, दस्ताना, जूता, आंखों की सुरक्षा हेतु चश्मा, प्रदूषण रोधक मास्क की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वे समुचित रूप से साफ –सफाई कर सकें।</p> <p>10.समय – समय पर सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दी जानी चाहिए।</p> <p>11.समय – समय पर यात्रियों का सुझाव लेना चाहिए।</p> <p>12.समय – समय पर स्टेशन का निरीक्षण करना चाहिए।</p> <p>13.संभव हो तो समय – समय पर स्वच्छता की जागरूकता के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।</p> <p>14.मेजर स्टेशन पर एप्रन बनाना चाहिए और Longitudinal नाली को मरम्मत करना जरूरी है, ताकि पानी का जमाव ट्रैक पर न हो।</p>	<p>मुचिनि</p>

	15.स्वच्छता पर जागरूकता के लिए जगह जगह पर बैनर टंगी होनी चाहिए। 16.स्टेशनों को दोनों ओर मीनि गार्डन बनना चाहिए और सर्कुलेटिंग एरिया पर गार्डन को उपलब्धता स्टेशन परिसर को और बेहतर सौन्दर्य दे सकते हैं।	
2.10	पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए कार्यस्थल को साफ-सुथरा रखकर एवं समय-समय पर विशेष सफाई अभियान चला कर इसे और बेहतर किया जा सकता है।	प्रविस
2.11	स्वच्छ भारत का अभियान पूर्ण सफलता को तभी अग्रसर हो पायेगा जब भारतीय इसे अपनी व्यक्तिगत एवं नीतिगत जिम्मेवारी समझकर स्वच्छ अभियान के इस महाकुम्भ में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। साथ ही साथ अपने परिवार, मित्र बन्धुओं को बैठकों, सभाओं द्वारा प्रेरित एवं उत्साहित करेंगे। मानसिक व भाारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में स्वच्छता का बहुत बड़ा योगदान होता है। रेलवे द्वारा यात्रियों को सचेत एवं जागरूक करने की दृष्टि से समय-समय पर नुक्कड़ नाटकों के द्वारा एवं उपयुक्त संसाधनों द्वारा स्वच्छता को और बेहतर बनाया जा सकता है।	मुसुआ

संविभाजित आय (Apportioned Earnings) (2016-17)

(करोड़ रुपये में)

मद	वास्तविक 2016-17	लक्ष्य 2017-18	वास्तविक जुलाई 2017 के अंत तक	बजट अनुपात जुलाई 2017 के अंत तक	वास्तविक जुलाई 2017 के अंत तक (लगभग)	पिछले वर्ष की तुलना में		आनुपातिक लक्ष्य	
						अंतर	% अंतर	अंतर	% अंतर
यात्री	2334.38	2550.37	826.48	891.64	868.40	41.92	5.07	-23.24	-2.61
अन्य कोचिंग	54.70	90.91	18.16	30.00	17.81	-0.35	-1.90	-12.19	-40.62
माल	8302.24	9399.01	2524.72	2888.23	2770.02	245.30	9.72	-118.21	-4.09
विविध	178.11	397.20	47.77	111.15	51.43	3.66	7.65	-59.72	-53.73
कुल	10869.43	12437.49	3417.13	3921.02	3707.66	290.53	8.50	-213.36	-5.44

(जुलाई, 2017 तक)

माल लदान							
(FREIGHT LOADING PERFORMANCE) (मिट्रिक टन में)							
मद	वास्तविक 2016-17	लक्ष्य 2017-18	लक्ष्य 2017-18	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	% अंतर 2016-17	% अंतर लक्ष्य
	वार्षिक		अप्रैल- जुलाई				
कोयला	105.33	111.75	35.08	33.05	36.57	10.64	4.3
कच्चा माल (स्टील प्लांट के लिए)	0.08	0.12	0.04	0.04	0.07	85.00	85.0
सीमेंट	1.37	1.92	0.61	0.52	1.15	120.19	87.7
मिनरल ऑयल	1.37	1.60	0.49	0.41	0.67	62.84	35.9
खाद्य सामग्री	1.05	1.30	0.41	0.61	0.69	13.58	69.3
अन्य	6.97	6.81	2.14	2.15	1.61	-25.27	-24.8
कुल	116.17	123.50	38.77	36.79	40.76	10.80	5.1

(जुलाई, 2017 तक)

वास्तविक आय (Originating Earnings) (2016–17)

(करोड़ रुपये में)

मद	उपलब्धि (2016–17)	लक्ष्य (2017–18)	संचयी उपलब्धि (जुलाई, 2017 तक)				
			वास्तविक (2016–17)	आनुपातिक लक्ष्य (2017–18)	उपलब्धि (2017–18)	% अंतर 2016–17	% अंतर आनुपातिक लक्ष्य
यात्री आय	2602.78	2751.62	944.82	998.85	971.08	(+) 2.78	(-) 2.78
अन्य कोचिंग आय	141.46	148.53	51.36	53.92	56.33	(+) 9.68	(+) 4.47
माल आय	10746.90	11456.19	3420.07	3645.80	4008.24	(+) 17.20	(+) 9.94
विविध आय	178.11	397.20	47.77	111.15	51.43	(+) 7.66	(-) 53.73
कुल आय	13669.25	14753.54	4464.02	4809.72	5087.08	(+) 13.96	(+) 5.77

(जुलाई, 2017 तक)

टिकट जाँच का कार्य

विवरण	गत वर्ष 2016–17 जुलाई, 2016 तक	चालू वित्त वर्ष 2017–18 जुलाई, 2017 तक	% अंतर गत वर्ष के साथ
पेनाल्टी मामलों की संख्या (लाख में)	7.60	8.77	(+) 14.62
पेनाल्टी आय (करोड़ में)	31.04	35.54	(+) 14.48
यूबीएल मामलों की संख्या (लाख में)	1.45	1.39	(-) 3.96
यूबीएल से आय (करोड़ में)	0.82	0.77	(-) 6.56

(जुलाई, 2017 तक)

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 24.03.2017) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी :-

क्र.सं.	मद	विभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	श्री एस.सी. त्रिवेदी, अध्यक्ष, ईसीआरकेयू		
1.1	ज्यादा गर्मी में ब्लाक नहीं लिए जाए । इससे कर्मचारीगण बीमार पड़ जाते हैं और कभी-कभी काम करने लायक नहीं रह जाते ।	प्रमुइं, मुपरिप्र	ट्रैक अनुरक्षण के लिए ब्लॉक अतिआवश्यक है कार्य की अद्यतन स्थिति के अनुसार अत्याधिक गर्मी में ब्लॉक न लेना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इससे गाड़ियों के समय से परिचालन में बाधा हो सकता है। ट्रैक की अच्छी स्थिति लगातार बना रहे इसके लिए लगातार प्रयास की जरूरत पड़ती है और ब्लॉक कार्य के अनुसार लिया जाता है और सभी रेलवे के कोड एवं मैनुअल के अंतर्गत मापदंड के अनुसार किया जाता है। नोट किया गया ।
1.2	पेट्रोलिंग में कम से कम दो कर्मचारियों को लगाया जाय इससे रनओवर के मामलों में कमी आएगी ।	प्रमुइं	पेट्रॉलिंग का कार्य ट्रैकमैन के द्वारा निर्धारित मापदंड और एलडब्ल्यूआर मैनुअल के अनुसार की जाती है।
1.3	यार्ड अवपथन में कमी लाने के लिए यार्ड को आंशिक रूप से ही सही इंटरलॉक किया जाना चाहिए ।	मुपरिप्र, मुसिदूइं,	नोट किया गया । नोट किया गया ।
1.4	यार्ड में शंटिंग, लाईनों की क्षमता के अनुसार की जानी चाहिए ।	मुपरिप्र	शंटिंग लाईन क्षमता के अनुसार ही की जाती है ।
1.5	यार्ड में शंटिंग में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि गाड़ियां ओवरलोडेड न हो ।	मुपरिप्र, मुवाप्र	शंटिंग नियमानुसार की जाती है एवं ओवरलोडिंग का ध्यान रखने हेतु मंडल को निर्देशित किया जाता है। मालगोदाम से वैगन में ओवरलोडिंग न हो इसका ध्यान रखा जाता है । लोडिंग के पश्चात् वे ब्रिज पर वजन की जाँच की जाती है ताकि वैगन ओभर लोडेड न हो । निरीक्षणों के दौरान कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी तरह की अनियमितता न हो ।
1.6	यार्ड में खास कर क्रॉसिंग पर पीएससी स्लीपर लगाए जाय ।	प्रमुइं	यार्ड में क्रॉसिंग पर पीएससी स्लीपर अधिकांश जगहों पर लगा हुआ है, जिससे ट्रैक में मेंटेन्स की कम जरूरत हो और ट्रैक का रनिंग भी ठीक रहे।
1.7	शंटिंग के दौरान हुटर बजाने का प्रावधान किया जाय ।	मुपरिप्र	सभी महत्वपूर्ण यार्डों में हुटर (Back Shunt Unit) उपलब्ध करा दिया गया है

1.8	यार्ड या स्टेशन पर लंबे लोड का शंटिंग करते समय इंजन पर भी एक स्टाफ होना चाहिए ।	मुपरिप्र	इसको सुनिश्चित किया जाएगा ।
2.0	श्री एस.के.पाण्डे, महासचिव/ईसीआरकेयू		
2.1	प्रेम ग्रुप के सदस्य के नाते उपलब्ध कराई गई बीएसएनएल फोन बिल की अदायगी में पी.एफ.सं.दर्ज कराना तार्किक नहीं है। इस समस्या का युक्तिसंगत हल निकाला जाय।	विसमुलेधि	IPAS System के तहत बिल पास हेतु PF संख्या आवश्यक है।
2.2	आरा-बक्सर के बीच प्रातः 9 बजे से अपराह्न 2 बजे तक कोई गाड़ी नहीं है। इस समयांतराल के बीच उक्त खंड पर एक गाड़ी दी जाय।	मुपरिप्र, मुवाप्र	आरा-बक्सर के बीच 9:00 बजे से 14:00 बजे के बीच तीन सवारी गाड़ी एवं सात मेल/एक्सप्रेस चलती है। यद्यपि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह सुझाव लाभप्रद और यात्री सुविधा के अनुकूल है, परन्तु इसकी पारिचालनिक फिजीबिलिटी को ध्यान में रखते हुए परिचालन विभाग से टिप्पणी प्राप्त करना उचित होगा।
2.3	टिकट जांच में रेल सुरक्षा बल एवं टिकट जांच में लगे कर्मियों के बीच उचित समन्वय बनाया जाना चाहिए इससे अनधिकृत यात्रा में कमी आएगी।	मुवाप्र, मुसुआ	टिकट जाँच कर्मियों एवं रेल सुरक्षा बल कर्मियों के समन्वय से मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर / खण्डों में टिकट जाँच कराया जाता है। इस दौरान अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। सघन टिकट चेकिंग अभियान में पूर्व से ही सुरक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर ली जाती है। सभी मंडलों के रेसुब द्वारा टिकट जाच में लगे कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित कर अनाधिकृत यात्रा रोका जाता है।
2.4	यातायात लेखा कार्यालय को पुल के पुनःनिर्माण तक पटना में ही रखा जाना चाहिए।	प्रविस	सामान्य प्रशासन द्वारा विभिन्न पत्रों (अंतिम पत्र सं. ईसीआर/एडीएम/का. स्पेस दिनांक 05.05.2017) के माध्यम से अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार बिस्कोमान टॉवर के 7वाँ एवं 8वाँ तल को 31.05.2017 तक कर मुख्यालय /हाजीपुर स्थित नव-निर्मित भवन में शिफ्ट किये जाने से सम्बन्धि आदेश पर

			यातायात लेखा कार्यालय में त्वरित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.5	पटना में उपलब्ध 2.5 बीघे के प्लॉट पर कर्मचारी आवास बनाया जाय।	प्रमुइं	दानापुर में कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया चल रही है जो कि निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसके जगह पर आवास बनाने की निर्णय पर आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा।
2.6	इंटरनेट पर गाड़ी परिचालन की सही-सही जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी।	मुपरिप्र, मुसिदूइं	इस संबंध में समय-समय पर मंडलों को निर्देश दिया जाता है। नोट किया गया।
3.0	श्री डी.के.पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष/ईसीआरकेयू		
3.1	धनबाद मंडल में पीने का पानी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कई बार यह आंदोलन का मूल कारण भी बन जाता है।	मुवाप्र	स्टेशनों पर मानक के अनुरूप पेय जल की व्यवस्था प्रदत्त है। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रिमोट स्टेशनों पर विशेष रूप से गर्मी के दिनों में उनकी रख-रखाव पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
3.2	गाड़ियों को शंटिंग के दौरान लॉकिंग ठीक प्रकार से की जानी चाहिए।	मुपरिप्र,	नोट किया गया।
3.3	कर्मचारियों के हितों की रक्षा पूर्ण रूपेण की जाय ताकि उनमें तनाव में कमी आ सके।	सभी विभागाध्यक्ष	सुनिश्चित किया जाता है।— मुचिनि नोट किया गया।— मुसंधि नोट किया गया।—मुसिदूइं, कर्मचारी तनावमुक्त होकर कार्यरत रहे इसका समुचित ध्यान रखा जाता है। प्रयास रहता है कि कर्मचारियों की साप्ताहिक रेस्ट और छुट्टी अकारण अस्वीकृत न किये जाएं। उनके उचित शिकायत का तत्काल निवारण करने का प्रयास भी किया जाता है।—मुवाप्र कर्मचारियों के हितों की रक्षा का ध्यान पूर्ण रूपेण रखा जाता है।— प्रविस मंडलों द्वारा सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से सभी रेसुब सदस्यों के समस्याओं का निराकरण किया जाता है।—मुसुआ कर्मचारियों की हितों की रक्षा हेतु समय समय पर काउंसिलिंग एवं बातचीत इत्यादि कर उन्हें तनाव मुक्त करने की व्यवस्था की जाती है।— मुयाई अनुपालन किया जा रहा है।—प्रमुसप्र

			<p>इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है । –मुपरिप्र कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाता है। कर्मचारियों के तनाव दूर करने हेतु समय समय पर योग एवं मेडिटेशन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एवं भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। –मुकाधि नोट किया गया तथा प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती हैं। – मुविइं कर्मचारियों के हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे उसका कार्यक्षमता बना रहे और उनका बढ़ोतरी हो सके। –प्रमुइं</p>
4.0	श्री एस.पी.श्रीवास्तव, अपरमहासचिव/ ईसीआरकेयू		
4.1	मूल भूत सुविधाओं से लैस रनिंग रूम एवं रेस्ट रूम की व्यवस्था समुचित स्थानों पर की जाय।	मुवाप्र	<p>वाणिज्य सर्कुलर सं. 71/2013 पत्रांक 2010/TG-V/10/03 दिनांक 14.11.2013 मूल रूप से इस कार्य का कार्यान्वयन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जाना है । इस में मंडलों के वाणिज्य विभाग द्वारा इंजीनियरिंग विभाग से पत्राचार किया जाता रहा है ।</p> <p>पटना, झांझा एवं राजेन्द्रनगर के रेस्ट रूम में सभी मूलभूत सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया की जा रही है ।</p> <p>पटना जं. में टी.टी.ई. विश्राम गृह का निर्माण हो चुका है । फर्नीचर सम्बंधित संचिका प्रक्रियाधीन है जो अतिशीघ्र खरीदकर टी.टी.ई.रेस्ट रूम को चालु कर दिया जाएगा ।</p> <p>दानापुर स्टेशन पर टी.टी.ई. रेस्ट रूम बनाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।</p> <p>यूनियन अधिकारियों द्वारा पाटलिपुत्रा स्टेशन पर टी.टी.ई. रेस्ट रूम की मांग की गई है किन्तु वहाँ से खुलने वाली व पहुँचने वाली गाड़ी की मैनिंग वर्तमान में</p>

		<p>पाटलिपुत्रा स्टेशन के स्टाफ द्वारा की जाती है ।</p> <p>बरौनी स्टेशन पर 70 बेड का टी.टी.ई रनिंग रूम हेतु कार्य स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2014-15 में IRPSM के माध्यम से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 70 बेड का टी.टी.ई रनिंग रूम का प्रावधान हेतु प्रस्तावित किया जा चुका है । उसकी स्वीकृति होने पर परिपत्र सं. 71/2013 के निर्देशानुसार सभी सुविधा का प्रावधान किया जायगा ।</p> <p>समस्तीपुर- टी.टी.ई रेस्ट रूम निर्माण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान वाणिज्य सर्कुलर सं. 71/2013 के अनुरूप प्लान हेड 64 के तहत करने हेतु निधि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात् वर्क प्रोग्राम में सम्मिलित करने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रस्तावित किया जायगा । वर्तमान में स्थिति की समीक्षा की जा रही है एवं कार्य योजना का प्राक्कलन इत्यादि तैयार किया जा रहा है ताकि कार्य का अनुमानित लागत कार्य से पहले तैयार किया जा सके ।</p> <p>धनबाद स्टेशन पर स्थित टी.टी.ई विश्राम गृह में सभी सुविधाएँ उपलब्ध है ।</p> <p>सिंगरौली में नये टी.टी.ई रेस्ट रूम का कार्य (प्लान हेड -64) में स्वीकृत है ।</p> <p>गोमो एवं बरकाकाना में अगले वित्तीय वर्ष में कार्य स्वीकृत कराया जायगा । टिकट जाँच कर्मियों हेतु ।</p> <p>मुगलसराय में टी.टी.रेस्ट रूम मूल-भूत सुविधाओं से लैस है । रख-रखाव एवं आधुनिकरण हेतु उतरोत्तर कार्यवाही की जा रही है । मंडल द्वारा इस सम्बन्ध में इंजीनियरिंग एवं विधुत विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया</p>
--	--	--

		<p>मुविइं गया है । अवश्यकतानुसार रनिंग रूम में सभी स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है ।</p> <p>मुयांई आवश्यकता के अनुरूप वांछित स्थानों पर रनिंग रूम की व्यवस्था की गयी है ।</p> <p>मुपरिप्र नोट किया गया । प्रमुइं मूलभूत सुविधाओं से लैस रनिंग रूम एवं रेस्ट रूम की व्यवस्था है जहाँ नहीं है वहाँ व्यवस्था संबंधित विभाग से सम्वन्ध कर की जाएगी ।</p>
4.2	प्रशिक्षण संस्थानों को सुधारा जाना चाहिए ।	<p>सभी विभागाध्यक्ष नोट किया गया।— मुसंधि यद्यपि यह विषय वाणिज्य विभाग से सम्बंधित नहीं है तथापि उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड और मुख्यालय से जारी किये जाने वाले सर्कूलरों / दिशा-निर्देशों की प्रतिलिपि मुजफ्फरपुर और भूली क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रेषित किया जाता है।— मुवाप्र नोट किया गया।— प्रविस ईटीसी/मुगलसराय अच्छी स्थिति में है और भी आधुनिक सुविधा एवं विस्तार हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है।— मुविइं अनुपालन हेतु नोट किया गया।—मुसुआ प्रशिक्षण संस्थानों में बैठने की उचित व्यवस्था,रोशनी, पंखे की व्यवस्था, कर्मचारियों को एकाग्रचित होकर प्रशिक्षण लेने तथा मेंटेनेंस मैनुअल, लाइब्रेरी की व्यवस्था, चल स्टॉक(कोच एवं बैगन) के मेंटेनेंस से संबंधित नियमावली के लिए फ्लैक्स बोर्ड की व्यवस्था कर योग्य प्रशिक्षण दी जाती है ।</p> <p>— मुयांई प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है ।</p> <p>—मुपरिप्र प्रशिक्षण संस्थानों में रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर सुधार किया</p>

			जाता है।- प्रमुइं
4.3	अपने मूल कार्य में असफल लोगों को प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए तथा मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण संस्थान को मॉडल प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाना चाहिए।	मुपरिप्र,	प्रशिक्षण संस्थानों में तैनाती हेतु चयन प्रक्रिया अपनायी जाती है और चयनित उम्मीदवार को ही प्रशिक्षण संस्थान में तैनाती की जाती है।
4.4	मुगलसराय के गार्ड रनिंग रूम की स्थिति दयनीय है इसे ठीक किया जाना चाहिए। इसमें लगाए गए एजेंसी पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए।	मुपरिप्र, प्रमुइं	इस संबंध में मंडल को पत्र लिखा गया है। मुगलसराय के गार्ड रनिंग रूम नं0 555 में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए रेवेन्यू में प्रपोजल भेज दिया गया है।
4.5	सभी कोचों में समय पर पानी भरी जानी चाहिए। इससे अनावश्यक विलंबन से बचा जा सकता है।	मुपरिप्र, मुयाई	यह यांत्रिक विभाग से संबंधित है। पिट में मंटेनेंस के दौरान ही कोचों में पानी भरकर सुनिश्चित कर लिया जाता है। फिर भी सभी डिपो इन्चार्ज को निर्देशित किया गया है कि इस मद में अनावश्यक विलंबन न हो।
4.6	चिकित्सालयों में फिट-अनफिट वाले मामलों को तत्परता से निपटाया जाना चाहिए। इससे रेलवे को फायदा भी होगा और कर्मचारियों के असंतोष से बचा जा सकेगा।	मुचिनि,	सुनिश्चित किया जाता है।
4.7	कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए।	मुसंधि	कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं।
4.8	वर्तमान में ट्रैकमैन की बौद्धिक क्षमता अच्छी है। इसका समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्हें उनके ड्यूटी का पूरा एहसास कराया जाना चाहिए तथा उनकी गलतियों से होनवाले नुकसान से भली-भांति परिचित कराना चाहिए। उन्हें जगह जगह एकत्रित कर काउंसिलिंग की जानी चाहिए।	प्रमुइं	ट्रैकमैन की बौद्धिक क्षमता हेतु समय-समय पर निरीक्षण के दौरान काउंसिलिंग की जाती है एवं समयानुसार रिफ्रेशर भी कराया जाता है। और इसका एहसास सभी स्तर से करना अपेक्षित है।
5.0	श्री सुशील कुमार , अध्यक्ष / ईसीआरपीएफए		

	की बचत भी होगी।		को इम्प्रेस्ट से चपाकल ठीक करने हेतु निर्देश दिया गया है।
5.3	किसी भी अनुपयोगी सामग्री को रेलवे ट्रैक से दूर रखा जाय। इससे असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे को नुकसान पहुंचाने के इरादे सफल नहीं होंगे।	प्रमुइं मुयाईं, मुसिदूइं	इस संबंध में दिशा-निर्देश समय समय पर जारी किया जाता है एवं ट्रॉली निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा कर्मचारियों को काउंसिलिंग किया जाता है। सफाई अभियान के तहत रेलवे ट्रैक का साफ-सफाई समय समय पर की जाती है। अनुपयोगी सामग्री को रेलवे ट्रैक से दूर ही रखा जाता है। नोट किया गया।
5.4	ट्रैकमैन आजकल मोबाइल का काफी प्रयोग करते हैं इससे संरक्षा प्रभावित होती है। इस प्रवृत्ति से काउंसिलिंग द्वारा निपटा जा सकता है।	प्रमुइं	समय-समय पर सेमिनार के द्वारा काउंसिलिंग कर ड्यूटी आवर में मोबाइल के प्रयोग कम करने हेतु निर्देशित किया जाता है ताकि संरक्षा प्रभावित न हो और यह प्रयास सभी स्तर से अपेक्षित है।
5.5	गर्मी के मौसम में यात्रीगण ढंढी हवा की चाह में गेट पर आ जाते हैं और कई बार सो भी जाते हैं और नीचे भी गिर जाते हैं। इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात रेसुब एवं टिकट जांच के कर्मी ऐसा करने से यात्रियों को काउंसिलिंग कर रोकें।	मुवाप्र, मुसुआ	यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल/टी.टी.ई. द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा विभाग द्वारा भी यात्रियों के बीच काउंसिलिंग कर इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है ताकि यात्रियों के प्रवेश/निकास द्वार पर निर्बाध यात्री-प्रवाह होता रहे। टिकट-चेकिंग कर्मियों द्वारा और उद्घोषणा सिस्टम से भी इस आशय की सलाह यात्रियों के बीच प्रचारित/प्रसारित करने हेतु निर्देश दिये गए हैं। रेसुब मार्गरक्षण दल को मार्गरक्षण पर जाने से पूर्व मौजूद अधिकारी द्वारा ब्रीफिंग किया जाता है कि गाड़ियों यात्रियों के साथ मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए और गाड़ियों के दरवाजे पर किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति न दी जाए।
6.0	श्री ओ.पी. चौधरी,कार्यकारी ,महासचिव/ ईसीआरपीएफए		
6.1	सभी रेसुब थानों को चौपहिया वाहन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि रेसुब	मुसुआ	अनुपालन हेतु नोट किया गया।—मुसुआ

	प्रभावी रूप से अपना कार्य निष्पादन कर सके।		
6.2	एसीपी को प्रभावी रूप से ठीक कराया जाय।	मुपरिप, मुयाई, मुविइं,	इस संबंध में पूर्व में JPO जारी किया जा चुका है। शिड्यल के दौरान अनुरक्षण करते समय इसकी जांच की जाती है। खराबी मिलने पर इसे ठीक करायी जाती है। एसीपी का सुचारु रूप से उपयोग/संचालन हेतु क्रू को नियमित रूप से जागरूक किया जाता है।
6.3	यार्डों की घेराबंदी की जानी चाहिए। इससे अनधिकृत आवा-जाही पर लगाम लगेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।	मुपरिप, प्रमुइं	नोट किया गया। यार्डों की घेराबंदी करने हेतु सुझाव नोट कर लिया गया है निधि के उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाता है तथा संबंधित आर.पी.एफ. विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करती है।
7.0	श्री महेन्द्र कुमार, अध्यक्ष/एससी एण्ड एसटी एशोशिएसन		
7.1	कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से फिट रह सकें।	सभी विभागाध्यक्ष	सुनिश्चित किया जाता है।— मुचिनि नोट किया गया।— मुसंधि नोट किया गया।—मुसिदूइं, कर्मचारियों को सामान्यतः सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कर्मचारी तनावमुक्त होकर कार्यरत रहे इसका समुचित ध्यान रखा जाता है। इसके उचित शिकायत का तत्काल निवारण करने का प्रयास किया जाता है। —मुवाप्र कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।— प्रविस निरीक्षण के दौरान मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता है और पाये गये कमियों को दूर करने पर प्रशासन हमेशा प्रयासरत है।—मुविइं रेसुब के बल सदस्यों के समस्याओं के निवारण एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सुरक्षा सम्मेलन किया जाता है।—मुसुआ सेफ्टी कर्मचारियों के लिए विश्राम की व्यवस्था, औजार रखने की व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था, कैटीन सुविधा

			<p>उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रह सकें।- मुयाई</p> <p>अनुपालन किया जा रहा है।-प्रमुसप्र कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं । मानसिक रूप से फिट रहने के लिए खेल-कूद प्रतियोगिता, संगीत-नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।- मुपरिप इसका समुचित ध्यान रखा जा रहा है।</p> <p>-मुकाधि कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे मानसिक रूप से फिट रह सकें।-प्रमुइं</p>
7.2	सभी स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	मुवाप्र,	मद सं. 5.1 के विरुद्ध दी गयी टिप्पणी का अवलोकन किया जा सकता है।
7.3	यार्ड के अनुरक्षण के लिए उचित सामग्री यथासमय उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	प्रमुइं	यार्ड के अनुरक्षण सामग्री की माँग नियत समय पर किया जाता है एवं सामग्री का उठाव भी समय से किया जाता है।
7.4	यार्ड का गेज सही होना चाहिए।	प्रमुइं	कार्यरत पर्यवेक्षक गैंग मेट द्वारा नियमित रूप से इस पर नियमानुसार ध्यान दिया जाता है।
7.5	स्लीपर उचित रूप से लगे होने चाहिए।	प्रमुइं	कार्यरत गैंग द्वारा नियमित रूप से इस पर ध्यान रखा जाता है।
7.6	यार्ड में कर्व पर गति नियंत्रित होनी चाहिए।	मुपरिप्र मुयाई, मुविइं,	नियमानुसार लाईनों में गति प्रतिबंध होता है। यार्ड में कर्व पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निर्धारित गति पर गाड़ियों का परिचालन करवाया जाता है। शतप्रतिशत अनुपालन किया जाता है। तथा नामित एल.आई.द्वारा क्रू की नियमित काउंसिलिंग की जाती है।
7.7	शंटिंग के दौरान अचानक ब्रेक न लगाई जायें।	मुयाई, मुविइं	सेफ्टी सेमिनार एवं नामित मुख्य लोको निरीक्षक द्वारा शंटिंग संबंधित सभी जानकारी दी जाती है तथा सीएलआई द्वारा यार्ड में औचक निरीक्षण किया जाता है। नोट किया गया तथा क्रू को मदानुसार आपेक्षित काउंसिलिंग की जाएगी।
7.8	ट्रैक का अनुरक्षण गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए।	प्रमुइं	कार्यरत गैंग द्वारा नियमित रूप से इस पर ध्यान रखा जाता है।

7.9	निर्माण कार्य करते समय पटवन/तराई उचित प्रकार से होनी चाहिए। इसके लिए उसमें लगे कर्मचारियों की उचित काउंसिलिंग होनी चाहिए।	प्रमुइं	निर्माण कार्य करते समय पटवन /तराई में लगे कर्मचारियों की नियमित रूप से काउंसिलिंग किया जाता है।
7.10	मशीनों का अनुरक्षण गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए।	मुयांई, मुविइं	मशीनों की गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण हेतु अपने प्रशिक्षित कर्मचारी से कार्य लिया जाता है एवं समय-समय पर उन्हें रिफ्रेशर के लिए भेजा जाता है तथा बाहरी कंपनी से अनुरक्षण कराने के लिए टेंडर के शर्तों में यह व्यवस्था की गई है कि इसमें दक्षतापूर्ण कंपनी द्वारा अनुरक्षण का कार्य निष्पादन हो सके। सहमत ,इस ओर प्रशासन सत्त प्रयत्नशील है।
7.11	ब्लॉक उचित प्रकार से लिए जायं तथा ब्लॉक की समाप्ति पर पुनःपरिचालन सावधानीपूर्वक किया जाय।	मुपरिप्र, प्रमुइं	नोट किया गया। अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जाता है।
8.0	श्री आर.एन.पासवान,महासचिव/एससी एण्ड एसटी एशोशिएसन		
8.1	ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे की वॉकी-टॉकी के सही चैनल का प्रयोग हो और भ्रम की स्थिति पैदा न हो।	मुसिदूइं	वॉकी -टॉकी से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु सभी वमंसिदूई निर्देशित किया गया है।
8.2	कई जगहों पर चालक दल दो-दो कि०मी० तक पैदल चलकर क्रू चेंज करने को मजबूर हैं। अतः ऐसी व्यवस्था की जाय कि उन्हें इतनी लंबी दूरी तक पैदल न चलना पड़े।	मुयांई, मुविइं	कू को कू चेंजिंग प्वाइंट पर पहुंचाने के लिए भाड़े के वाहन की सुविधा मुहैया कराई गई।सामान्यतः कू लॉबी स्टेशन के मध्य में होता है। कतिपय स्थानों पर जगह की उपलब्धता के हिसाब से कू लॉबी स्टेशन के एक सिरे पर होने के कारण चालक को लगभग आधा कि.मी. तक पैदल चलना पड़ता है। बिजली विभाग में ऐसा कही नहीं है।
8.3	चिकित्सा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किया जाय।	मुचिनि	चिकित्सा विभाग में अनियमितता नहीं है।रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
8.4	कर्मचारियों की चेतना इस प्रकार बनाने का प्रयास किया जाय कि वे नौकरी से खिलवाड़ न कर सकें।	सभी विभागाध्यक्ष	सुनिश्चित किया जाता है।- मुचिनि नोट किया गया।- मुसंधि अनुशासित कार्रवाई एवं कार्य के दौरान कर्मचारियों के व्यवहार का ब्यौरा सालाना रिपोर्ट में किया जाता है। इस

		<p>प्रक्रिया को सुदृढ़ कर एवं कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति निष्ठा और सम्मान के साथ निष्पादन एवं आपसी सहयोग व सूझ बूझ के आदान –प्रदान से सुनिश्चित किया जाना चीहए। – मुसिदूइं</p> <p>समय-समय पर कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्य के प्रति चेतना जागृत किया जाता है, ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके कार्य के प्रति सजगता और प्रतिबद्धता हेतु सलाह दी जाती है </p> <p>आनुशासनिक कार्रवाईयों के प्रावधान की भी जानकारी दी जाती है –मुवाप्र</p> <p>समय-समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है। – प्रविस</p> <p>इस संबंध में मंडलों द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। –मुसुआ</p> <p>गाडी के रख-रखाव एवं सुरक्षा पहलुओं के संबंध में कर्मचारियों को काउंसिलिंग और प्रेरित किया जाता है।– मुयांई</p> <p>कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यो के प्रति उत्तरदायित्व के बोध के साथ-साथ गर्व की भावना का अहसास कराने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वे निर्विध्न हो कर अपनी नौकरी करें एवं उनके आनंद को अनुभव कर सकें।</p> <p>नोट किया गया। –मुपरिप्र</p> <p>इसका समुचित ध्यान रखा जा रहा है। –मुकाधि</p> <p>कर्मचारियों की चेतना की जागरूक बनाने हेतु रेलवे बोर्ड के मापदंड के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।</p> <p>समय-समय पर औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों की जाँच की जाती है और काउंसिलिंग की जाती है।– प्रमुइं</p>
8.5	<p>चालक दल को काउंसिलिंग की जानी चाहिए कि वे गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व अपना सामान न समेटें </p>	<p>मुयांई,</p> <p>मुविइं</p> <p>चालक दल को नियमित रूप से काउंसिलिंग की जाती है।</p> <p>चालक दल को काउंसिलिंग किया जा रहा है।</p>

8.6	पर्यवेक्षक एवं अधिकारी किसी भी कर्मचारी के साथ पक्षतापूर्ण रवैया न अपनाएं ।	सभी विभागाध्यक्ष	सुनिश्चित किया जाता है।- मुचिनि नोट किया गया।- मुसंधि नोट किया गया।-मुसिदूइं, इस तरह का कोई भी मामला उत्पन्न न हो पाये इस पर ध्यान दिया जाता है । -मुवाप्र पर्यवेक्षक एवं अधिकारी द्वारा इस संबंध में पूर्ण ध्यान रखा जाता है। - प्रविस अनुपालन हेतु नोट किया गया।-मुसुआ पर्यवेक्षक एवं अधिकारी ध्यान रखते हैं कि किसी भी कर्मचारी के साथ पक्षतापूर्ण रवैया न अपनाया जाए।-मुयाईं नोट किया गया एवं अनुपालन किया जा रहा है।-प्रमुसप्र इस पर ध्यान दिया जा रहा है ।-मुपरिप्र इसका समुचित ध्यान रखा जा रहा है। -मुकाधि मु0वि0अभि0 द्वारा समय-समय पर अधिनस्त अधिकारियों को सलाह दी जाती है। - मुविइं पर्यवेक्षक एवं अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य संपन्न किया जाता है और पर्यवेक्षक एवं अधिकारी किसी भी कर्मचारी के साथ पक्षतापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाता है।- प्रमुइं
8.7	एससी एंड एसटी एशोशिएसन के कार्यालय को दुरुस्त करें ।	प्रमुइं, मुसिदूइं	एससी एंड एसटी एशोशिएसन के कार्यालय की जो भी समस्या है नियमानुसार दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा और संबंधित इकाई से वार्ता कर बताना अपेक्षित है । नोट किया गया ।
9.0	श्री शैलेन्द्र कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष, ओबीसी एशोशिएसन ।		
9.1	पेट्रोलमैन की बीट लंबी होने के कारण वे पेट्रोल ड्यूटी से कतराते हैं ।	प्रमुइं	पेट्रोलमैन की बीट आईआरपीडब्ल्यूएम एवं एलडब्ल्यूआर के मैनुअल के द्वारा ड्यूटी कराया जाता है।
9.2	पेट्रोलमैन के लिए ड्यूटी के दौरान पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।	प्रमुइं	पेट्रोलमैन के लिए ड्यूटी के दौरान पेय जल हेतु थर्मस की आपूर्ति की जाती है।

9.3	पर्यवेक्षकों के लिए यथासंभव रेस्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए । इससे इनके कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी होगी ।	प्रमुइं	पर्यवेक्षकों के लिए यथासंभव रेस्ट रूम की व्यवस्था है यदि कोई specific location हो तो बताया जाय उस पर आवश्यक कार्रवाई धन उपलब्धता के अनुसार की जाएगी ।
9.4	पर्यवेक्षकों को मानसिक रूप से दुरुस्त रखने के मद्देनजर इनका आवश्यक रेस्ट सुनिश्चित किया जाय ।	सभी विभागाध्यक्ष	सुनिश्चित किया जाता है।— मुचिनि सुनिश्चित किया जाएगा।—मुसिदूइं, कर्मचारी तनावमुक्त होकर कार्यरत रहे इसका समुचित ध्यान रखा जाता है । प्रयास रहता है कि कर्मचारियों की साप्ताहिक रेस्ट और छुट्टी अकारण अस्वीकृत न किये जाएं । उनके उचित शिकायत का तत्काल निवारण करने का प्रयास भी किया जाता है ।—मुवाप्र नोट किया गया।— प्रविस उक्त विषय में मंडलों द्वारा पर कार्रवाई की जा रही है । —मुसुआ पर्यवेक्षकों को एचओईआर के तहत रेस्ट सुनिश्चित किया जाता है।— मुयांई पर्यवेक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से सप्ताहिक अवकाश निर्धारित है । —प्रमुसप्र परिचालन विभाग में कर्मचारियों को आवश्यक रेस्ट दिया जाता है ।—मुपरिप्र इस संबंध में रेलवे बोर्ड के प्रावधानों का नियमानुसार पालन किया जाता है । —मुकाधि नोट किया गया ।—मुविइं पूर्व मध्य रेल के अधीन कार्यरत सभी पर्यवेक्षक कर्मचारी को एच.ओ.ई.आर. excluding कोटि में रखा गया है । अतः एच.ओ.ई.आर (HOER) कोटि के पर्यवेक्षकों को निर्धारित विश्राम देने सम्बन्धि कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है । फिर भी कार्य की आवश्यकता के अनुसार सप्ताह में 01 दिन रेस्ट प्रदान करने के लिए सभी मंडल को निर्देशित किया जा रहा है ।— प्रमुइं
9.5	यार्ड में रिकंडीशनिंग एवं बेल्टिंग बैच नियुक्त करें ।	प्रमुइं	यार्ड में रिकंडीशनिंग एवं बेल्टिंग बैच नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

9.6	यार्ड में समुचित गेज मेंटेन होनी चाहिए ।	प्रमुइं	यार्ड में कार्यरत पर्यवेक्षक एवं गैंग द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है ।
9.7	धनबाद मंडल में चिकित्सकों की स्थिति ठीक किया जाय ।	मुचिनि	धनबाद मंडल में कुल 30 चिकित्सकों का पद स्वीकृत है जिसमें 28 पदों पर चिकित्सक कार्यरत है।शेष 02 पदों के सीएमपी द्वारा चयन प्रक्रिया की जायगी ।
10.0	श्री पी. के. सिंह ,महासचिव ओबीसी एसोसिएसन		
10.1	बरौनी में राज्यरानी एवं कोसी एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय । इससे अनधिकृत रूप से चढ़ने-उतरने के क्रम में होनेवाली दुर्घटनाएं नहीं होगी ।	मुपरिप्र, मुवाप्र	वाणिज्य विभाग से वाणिज्यिक औचित्य की मांग की गई है । प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा जाएगा । सोनपुर मंडल की अनुशंसा के आधार पर इस संबंध में परिचालन विभाग को वाणिज्य विभाग की अभ्युक्ति के साथ पत्र इस कार्यालय के पत्रांक पू.म.रे./सी.आर.एम./ठहराव/सोनपुर/005/14/भाग-IV दिनांक 23.9.2016 के द्वारा समुचित निर्णय हेतु प्रेषित किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में परिचालन विभाग से टिप्पणी ली जा सकती है ।
10.2	संरक्षा के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए समय-समय पर संरक्षा सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए तथा इसमें यूनियन एवं एशोसियेशन को शामिल किया जाना चाहिए ।	मुसंधि	कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं एवं आगे से ध्यान रखा जाएगा ।
10.3	रेलवे लाइनों के आस-पास साफ-सफाई सुनिश्चित की जाय ।	प्रमुइं	रेलवे लाइनों के आस-पास साफ-सफाई समय-समय पर कराया जाता है ।
10.4	इंफ्रारेड थर्मामीटर की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ।	मुयाईं	शेड में नियमित रूप से जाँच की जाती है ।
10.5	शंटमैन के रिक्त पदों को अविलंब भरा जाय ।	मुकाधि	शंटमैन पद हेतु सीधी भर्ती कोटा का प्रावधान नहीं है। अतिरिक्त पदों को भरने हेतु मंडल स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाएगा ।
10.6	वाँकी-टाँकी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।	मुसिदूइं	सुनिश्चित किया जाएगा ।
10.7	प्रमुख स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन की व्यवस्था की जाय ।	मुवाप्र	मद सं. 5.1 के विरुद्ध दी गयी टिप्पणी का अवलोकन किया जा सकता है ।
11.0	श्री पी.आर. सिंह,महासचिव / इसीआरपीओए		

11.1	गर्मी के दिनों में बरती जानेवाली सावधानियों के संबंध में दिए जानेवाले दिशा-निर्देशों को आवश्यक नीचले स्तर तक पहुंचना एवं इसका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।	सभी विभागाध्यक्ष	<p>सुनिश्चित किया जाता है।— मुचिनि इस संबंध में दिनांक 05.04.17 से 04.05.17 तक संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है तथा संरक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं सलाहकारों द्वारा निरीक्षण के समय कौंसलिंग किया जाता है।— मुसंधि नोट किया गया ।—मुसिदूइं, वाणिज्य विभाग द्वारा इंजीनियरिंग, विद्युत् विभागों को स्टेशनों/ कार्यालयों में प्रदत्त पेय जल की व्यवस्था, रिटायरिंग रूम के ए.सी सिस्टम की समुचित रख-रखाव हेतु अनुरोध किया जाता रहा है ।</p> <p>— मुवाप्र इस संबंध में दिए जानेवाले आवश्यक दिशा-निर्देश को सुनिश्चित किया जाता है।— प्रविस उक्त संबंध में मंडलों द्वारा पर कार्यवाही की जा रही है। —मुसुआ गर्मी के दिनों में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में दिये जाने वाले दिशा निर्देशों को निचले स्तर तक पहुंचाना और इसका पालन करना सुनिश्चित किया जाता है।— मुयाई नोट किया गया एवं इसका पालन करना सुनिश्चित किया जाता है।—प्रमुसप्र नोट किया गया ।— मुपरिप्र गर्मी के दिनों में बरती जानेवाली सावधानिया हेतु Hot weather booklet जारी किया जाता है एवं ट्रॉली निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूआई एवं अधिकारी स्तर से काउंसिलिंग किया जाता है।— प्रमुइं</p>
11.2	लाइनों की डिस्ट्रेसिंग समुचित रूप से की जानी चाहिए ।	प्रमुइं	लाइनों की डिस्ट्रेसिंग एलडब्ल्यूआर मैनुअल के अनुसार किया जाता है ।
11.3	वर्किंग टाइम टेबल में ब्लॉक की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय ।	मुपरिप्र,	पांचों मंडलों के वर्किंग समय-सारणी में कोरिडोर ब्लॉक का प्रावधान है ।
11.4	आगलगी से निपटने के लिए फायर फाइटिंग उपस्कर समुचित रूप से कार्यरत स्थिति में होने चाहिए एवं इसकी उपलब्धता का पहचान चिन्ह लगा होना चाहिए तथा समय-समय	मुसुआ	अगलगी की घटना से निपटने के लिए रेसुब ,प्र0के0 ,मोकामाघाट में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है ।

	पर मॉक ड्रिल होते रहना चाहिए । इस कार्य में कम से कम 20 प्रतिशत कर्मचारी दक्ष होने चाहिए । पुरस्कार के लिए संस्तुति के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कर्मचारी फायर फाइटिंग में दक्ष है या नहीं ।		
11.5	मुख्य लाइन के प्रथम लूप में अधिक गति पर परिचालन को रोका जाना चाहिए ।	मुपरिप्र,	लूप लाईनों में गति सीमा निर्धारित है उसी के अनुसार परिचालन होता है ।
11.6	यार्ड में क्रॉसिंग के निरीक्षण का क्रॉस चेक होना चाहिए ।	प्रमुइं	यार्ड में क्रॉसिंग के निरीक्षण schedule के अनुसार किया जाता है एवं समय-समय पर पर्यवेक्षक एवं अधिकारी इसका क्रॉस चेक करते हैं।
11.7	निरीक्षण में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ।	सभी विभागाध्यक्ष	सुनिश्चित किया जाता है।— मुचिनि (1) महाप्रबंधक महोदय के समक्ष संरक्षा बैठक में निरीक्षण में पाई गई कमियों के निराकरण हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को बताया जाता है। (2) मंडल में मंरेप्र एवं वमंसंधि को निरीक्षण के तुरंत उपरान्त कमियों को व्हाटसेप अथवा एस.एम.एस द्वारा सूचना दी जाती है तथा बाछ में निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए भेजा जाता है। — मुसंधि नोट किया गया।—मुसिदूइं, वाणिज्य विभाग द्वारा यात्री सुविधा से सम्बंधित निरीक्षणों में पायी जाने वाली त्रुटियों यथा साफ-सफाई, कोच में प्रदत्त फिटिंग्स, बेड-रोल की गुणवत्ता, खान-पान आदि सेवाओं में कमियों को सम्बंधित विभागों को आवश्यक सुधार हेतु पत्र लिखा जाता रहा है।— मुवाप्र निरीक्षण में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। — प्रविस निरीक्षण में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।—मुसुआ निरीक्षण में पायी गई कमियों को दूर करने के लिए कार्यवाई सुनिश्चित की जाती है।— मुयांई नोट किया गया।—प्रमुसप्र

			नोट किया गया।— मुपरिप्र इसे नोट किया जाता है।—मुकाधि निरीक्षण में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है तथा अब इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।— प्रमुइं
11.8	इसे मंडल रेल प्रबंधक के मनडे मीटींग का मद बनाया जाय।	सभी विभागाध्यक्ष	सभी मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष संरक्षा बैठक में निरीक्षण में पाई गई कमियों के निराकरण हेतु संबंधित शाखा अधिकारी को बताया जाता है। नोट किया गया।—मुसिदूइं, मंडलों द्वारा इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए।— मुवाप्र नोट किया गया।— प्रविस मंडल रेल प्रबंधक के मनडे मीटींग का मद बनाना आपेक्षित नहीं है। क्योंकि यह इंजीनियरिंग से संबंधित है।— प्रमुइं
11.9	प्रत्येक यार्ड में एक ब्लैकस्मिथ की पदस्थापना की जाय।	प्रमुइं	वर्तमान में ब्लैकस्मिथ की कमी है फिर भी जरूरत के अनुसार इसकी पदस्थापना की जाती है।
11.10	रेल कर्मियों की ड्यूटी की सूची का सर्कुलर विभिन्न जगहों पर बिखरी पड़ी है। इसे एक जगह समेकित किया जाना चाहिए तथा इसकी क्रॉस जाँच समय-समय पर की जानी चाहिए।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।— मुसंधि संबंधित कर्मचारी को निर्देश दिया गया।—मुसिदूइं इस संबंध में सभी अनुभागों यथा टिकट चेकिंग, बुकिंग, पी.आर.एस, पार्सल, गुड्स आदि विभागों के पर्यवेक्षक- इंचार्ज द्वारा ये कार्य किये जाते हैं।— मुवाप्र नोट किया गया।— प्रविस नोट किया गया।—मुसुआ कर्मचारियों की ड्यूटी की सूची एक जगह समेकित की जाती है एवं उसका समय-समय पर क्रॉस जाँच किया जाता है।— मुयांई नोट किया गया।— मुपरिप्र इसे नोट किया जाता है।—मुकाधि संबंधित सभी विभागों के अलग-अलग मैनुअल में यह शामिल है जिसे प्रशिक्षण के दौरान एवं समय-समय पर बताया जाता है।— प्रमुइं
11.11	उपलब्ध मैनुअल काफी पुराना हो चुका है इसकी ऑथोरिटी की जाँच की जानी चाहिए।	सभी विभागाध्यक्ष	नीतिगत मामला है।— मुचिनि नोट किया गया।— मुसंधि नोट किया गया।—मुसिदूइं,

			<p>मैनुअल में परिवर्तन/संशोधन रेलवे बोर्ड स्तर से होता है। मुख्यालय स्तर पर मंडलों से प्राप्त सुझावों या अन्य अनुभवों के आधार पर आई.आर.सी.ए. सम्मेलनों में और रेलवे बोर्ड को संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजे जाते रहे हैं।— मुवाप्र नोट किया गया।— प्रविस नोट किया गया।—मुसुआ उपलब्ध मैनुअल की पुरानी प्रति की ऑथोरिटी जाँच की जाती है।— मुयाई नोट किया गया।— मुपरिप्र उपलब्ध मैनुअल का अपडेशन समय-समय पर किया जाता है।— प्रमुइं</p>
11.12	<p>कर्मियों की जिम्मेदारी में काफी ओवरलैपिंग है इसे सुधारकर व्यक्तिनिष्ठ किया जाय या एक या दो कर्मचारी के बीच निर्धारित किया जाय।</p>	<p>सभी विभागाध्यक्ष</p>	<p>व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्मियों की रिक्तियाँ बढ़ती जा रही है अतः प्रबंधकीय कौशलता के द्वारा टीम भावना उत्पन्न कर कार्य सम्पन्न कराया जाता है।— मुवाप्र नोट किया गया।— प्रविस नोट किया गया।—मुसुआ कर्मियों की जिम्मेदारी एक-दो कर्मचारियों के बीच आवश्यकतानुसार निर्धारित किया गया है।— मुयाई नोट किया गया।—प्रमुसप्र इस तरह का कोई विशिष्ट संज्ञान में आता है तो उसपर नियमानुसार विचार किया जाएगा।— प्रमुइं</p>
11.13	<p>उच्चाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हो जाने पर दंडाधिकारी के संबंध में मैनुअल गौन है इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।</p>	<p>सभी विभागाध्यक्ष</p>	<p>नीतिगत मामला है।— मुचिनि नोट किया गया।— मुसंधि नोट किया गया।—मुसिदूइं, यह नीतिगत मामला है।— मुवाप्र नोट किया गया।— प्रविस नोट किया गया।—मुसुआ इस पर निर्णय उचित स्तर पर लिया जाता है।—प्रमुसप्र उच्चाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होने पर दंडाधिकारी से संबंधित कोई मैनुअल प्रचारित नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि किसी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक</p>

			कार्रवाई के मामले में स्पष्ट जानकारी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी रेल सेवक(D&A) नियम 1968 में वर्णित है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा मास्टर परिपत्र सं0 64, 66 एवं 67 भी जारी किया गया है।—मुकाधि
11.14	सहायक इंजीनियर का अग्रदाय 25,000/-रूपये कर दिया जाय तथा चापाकल की मरम्मत अग्रदाय से कराया जाय ।	प्रमुइं, प्रविस	नियमानुसार इंप्रेस्ट लगभग सभी सहायक मंडल अभियंता के पास है और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है और इसकी बढ़ोतरी के लिए वित्तीय विधिक्षण एवं संबंधित मंडल रेल प्रबंधक महोदय का अनुमोदन आवश्यक है जिसके लिए आगे प्रयास किया जायेगा। नोट किया गया।
11.15	विमुक्त पीएसी स्लीपर को बाउंड्री पिलर के रूप में प्रयोग किया जाय ।	प्रमुइं	यह व्यवस्था प्रचलन में है।
